प्रभात खबर

र्य.

पटना, सोमवार 03

3.02.2020

अग्रणी को छह तक देने होंगे चार करोड़

संवाददाता ▷ पटना

रियल स्टेट कंपनी अग्रणी होम्स ग्रुप पर रेरा ने शिंकजा कसा है. रेरा ने छह फरवरी तक कंपनी के एमडी व निदेशक को हाजिर होकर दो-दो करोड़ रुपये के चेक के रूप में चार करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिये है. साथ ही किस्तों में और 14 करोड़ रुपये की राशि जमा करनी है. रेरा ने कुल मिला कर तत्काल में 18 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश दिये हैं. रेरा अधिकारी एसके सिन्हा ने बताया कि वैसे तो अग्रणी पर और अधिक ग्राहकों के पैसे की देनदारी है. फिलहाल उनको 18 करोड़ रुपये जमा करने हैं.

अग्रणी पर सबसे अधिक शिकायत : राज्य के किसी भी रियल स्टेट कंपनी की तुलना में सबसे अधिक शिकायत अग्रणी के खिलाफ है. रेरा के अधिकारी बताते हैं कि रेरा में आम लोगों की आयी कुल लगभग 1100 में 430 शिकायत अग्रणी होम्स के खिलाफ आयी है. रेरा ने इसके सभी प्रोजेक्टों पर रोक लगा दी है. जानकारी के अनुसार ग्राहकों के पैसा लौटाने तक कंपनी के एमडी व निदेशक के पासपोर्ट को जमा करने के निर्देश दिये गये हैं.

ग्राहकों के पैसे से खरीद ली थी जमीन

1 अग्रणी होम्स ग्रुप पर रेरा ने शिकंजा कसा

2 1100 में 430 शिकायतें अग्रणी होम्स के खिलाफ

अग्रणी होम्स के मामले की सुनवाई रेरा में काफी समय से चल रही है. कंपनी ग्राहकों से पैसे लेकर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर रही थी. इस कारण आवंटियों को फ्लैट भी नहीं दिया और सुनवाई के दौरान रेरा के दिये गये आदेश के अनुसार ग्राहकों के पैसे भी नहीं लौटाये. बार-बार रेरा की ओर से आदेश देने के बावजूद कंपनी की ओर से कोई संज्ञान नहीं किया गया. सबसे बड़ी बात थी कि कंपनी ने ग्राहकों के पैसे से ही पाटलिपुत्रा कॉलोनी में जमीन खरीद कर अपने ऑफिस का निर्माण कर लिया. रेरा की ओर से वहां की जमीन बेच ग्राहकों के पैसे लौटाने के निर्देश दिये गये थे. अब रेरा में आकर कंपनी ने दावा किया है कि जमीन बेच दी गयी है.

पाटलिपुत्रा बिल्डर के खाते फ्रीज, जमीन रजिस्ट्री पर लगी रोक

पटना. रेरा एक के बाद एक बिल्डरों पर कार्रवाई कर रहा है. बीते जनवरी में अलग-अलग गड़बड़ियों को लेकर लगभग आधा दर्जन बिल्डरों व रियल इस्टेट कंपनियों पर कार्रवाई की गयी है. अब रेरा ने अपना शिकंजा पाटलिपुत्रा बिल्डर पर कसा है. रेरा के सिंगल बेंच ने पाटलिपुत्रा बिल्डर के पाटलीग्राम प्रोजेक्ट के सभी प्रोजेक्ट मसलन पटना, फुलवारीशरीफ व दानापुर के प्रोजेक्टों पर खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है. इसके लिए रेरा ने आइजी रजिस्ट्रेशन से लेकर अन्य अधिकारियों को सभी प्रोजेक्टों की जमीन आदि की रजिस्ट्री पर रोक लगाने को कहा है. प्रोजेक्ट के तीन निदेशकों के विभिन्न बैंकों के खाते भी फ्रीज कर दिये हैं.